

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर।

मिसकेस संख्या -07 / 2024-25

तिथि

आदेश

कि गई
कार्रवाई

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के साथ प्रस्तुत आवेदन शपथ पत्र अंचलाधिकारी पोटका के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा अन्य कागजातों के अवलोकन एवं साक्ष्यों के आधार पर अन्तरण की पूर्वानुमति के लिए अपेक्षित निम्नांकित शर्तें विद्यमान हैं:-

1. विक्रेता/दाता प्रसंगाधीन जमीन के अधिभोग (occupancy) रैयत है।
2. विक्रेता/दाता और क्रेता/ग्रहिता दोनों ही अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। (जाति प्रमाण पत्र संलग्न)
3. ग्रहिता/ क्रेता एवं दाता/विक्रेता दोनों ही एक ही थाना के निवासी हैं, जिस थाना के क्षेत्राधिकार में प्रसंगाधीन जमीन अवस्थित है। (निवास प्रमाण पत्र संलग्न)
4. प्रस्तावित अन्तरण के विरुद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1) द्वितीय परन्तुक (क) के अन्तर्गत विक्रेता/क्रेता :-रामदास दुडू पिता-फुल्लाई दुडू जाति-संथाल, ग्राम-बंसिला, थाना-पोटका, अंचल-पोटका, जिला-पूर्वी सिंहभूम को मूल्य-1,00,000/-रुपये या जिला निबंधक द्वारा निर्धारित मूल्य में से जो है अधिक है क्रेता/विक्रेता :-सोमबारी दुडू पति-रामदास दुडू जाति-संथाल, ग्राम-बंसिला, थाना-पोटका, अंचल-पोटका, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के नाम बिक्री हेतु निम्नांकित जमीन का ब्यौरा :-

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
बड़घुटुसिकड़ा	1345	52	23	0.52ए०

के प्रस्तावित अंतरण की पूर्वानुमति दी जाती है।

लेखापित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धालभूम, जमशेदपुर।